

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान

(भा. कृ. अनु. प.)

(अवकाश के दौरान यात्रा संबंधी रियायत(4 वर्ष/ 2 वर्ष के लिए) अग्रिम राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र)
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

1. नाम.....
2. पदनाम.....
3. स्थायी/अस्थायी
4. जमानत देने वाले का नाम.....
5. नियुक्ति की दिनांक.....
6. मूल वेतन.....
7. छुट्टी की अवधि.....से.....तक

प्रस्थान की दिनांक	आगमन रेलवे स्टेशन का नाम	रेल द्वारा यात्रा की दूरी (किलोमीटर में)	यात्रा के लिए प्रस्तावित आवास की श्रेणी	यात्रा पर जाने वाले परिवार के सदस्यों का विस्तृत विवरण	प्रति व्यक्ति किराए की राशि
1	2	3	4	5	6
यात्रा पर आगे जाने के लिए (गन्तव्य स्थान)					

वापसी यात्रा के लिए

टिकटों की कुल संख्या

8. कुल राशि का 4/5 भाग
9. मुझे यह ज्ञान है कि मुझे अग्रिम राशि के आहरण के 10 दिनों के भीतर रेलवे टिकटें प्रस्तुत करनी होंगी।
10. प्रमाणित किया जाता है कि:-
 - क . प्रस्तावित यात्रा गृह नगर अथवा.....
तथा वापिस.....के लिए हैं ।
 - ख . गृह नगर/भ्रमण स्थल का नाम
 - ग . यदि गन्तव्य यात्रा अग्रिम राशि निकलवाने के 15 दिन के भीतर प्रारम्भ नहीं होती तथा यदि वापसी यात्रा ए 3 मास/90 दिनों के भीतर समाप्त नहीं की जाती हैं/हैं, तो सम्पूर्ण अग्रिम राशि तत्काल वापिस करनी होगी अन्यथा दंड-स्वरूप ब्याज लिया जा सकता है ।
 - घ. मैंने ब्लाक वष 200.....के लिए एल.टी.सी.नहीं लिया है।
 - ङ. ऊपर दर्शाए गए परिवार के सदस्य पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर हैं ।
 - च. कि प्रस्तावित यात्रा के लिए दावा छोटे से छोटे रास्ते द्वारा किया जाएगा ।
 - छ मैंने यह नोट कर लिया कि जब भी आवश्यकता होगी समायोजन बिल में नियमानुसार दावे से संबंधित रेलवे टिकट सांख्या टिकटें आदि प्रस्तुत करने होंगे।
 - ज यदि उपलब्ध हों तो यात्रा करने के लिए रेलवे के वापसी/रियायती टिकटें खरीदी जाएंगी ।
 - झ. कि वापसी यात्रा (ए) 3माह की अवधि/90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
 - ण. यात्रा पूरी करने के पश्चात शेष राशि जो खर्च नहीं की गई है, उसे तत्काल वापिस कर दिया जाएगा ।

दिनांक.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्रशासन/नकदी एवं देयक अनुभाग की टिप्पणी

1. गृह नगर की घोषण निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दी गई थी सेवा पंजिका में (जहाँ लागू हो) रख दी गई थी ।
2. सेवा पंजिका में प्रविष्टि के अनुसार पिछला एल.टी.सी. ब्लाक वर्ष.....के दौरान लिया गया था ।
3. अग्रिम राशि के लिए उपयुक्त नोट बना लिया जाएगा तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 1.4.58 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/3/57 स्थापना(एम) के अनुसार अनुबद्ध अवधि में राशि को वापिस करने अथवा उसका समायोजन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की छान-बीन कर ली गई है तथा उन्हें सही पाया गया ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि राशन कार्ड का सत्यापन कर लिया गया है। आश्रित से संबंधित गौण प्रमाण देख लिया गए है ।
6. मांगी गई अग्रिम राशि स्वीकार्य है तथा रुपयेस्वीकृत किए जा सकते हैं ।

संबंधित सहायक

प्रशासनिक अधिकारी

नकदी एवं देयक अनुभाग में प्रयोग के लिए

बिल संख्या..... दिनांक.....
बजट शीर्ष.....अन्य भत्ते एल.टी.सी. 200.....200.....
रु.....रु.....के भुगतान के लिए स्वीकृत ।

संबंधित सहायक

प्रशासनिक अधिकारी

लेखा –परीक्षा अनुभाग में प्रयोगार्थ

रु.....रुपये..... का भुगतान करें ।

संबंधित सहायक

अधीक्षक

वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी